# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 463/2015/जयपुर
2. अपील संख्या 464/2015/जयपुर
3. अपील संख्या 465/2015/जयपुर
4. अपील संख्या 466/2015/जयपुर
5. अपील संख्या 467/2015/जयपुर
6. अपील संख्या 468/2015/जयपुर

मैसर्स आदित्य सीमेंट कंक्रीट प्रोडक्ट्स,
141–142, विष्णु गार्डन, टोंक रोड़, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, संभाग–द्वितीय, जयपुर ..........प्रत्यर्थी

7. अपील संख्या 895/2015/जयपुर
8. अपील संख्या 896/2015/जयपुर
9. अपील संख्या 897/2015/जयपुर
10. अपील संख्या 898/2015/जयपुर
11. अपील संख्या 899/2015/जयपुर
12. अपील संख्या 900/2015/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, संभाग द्वितीय, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स आदित्य सीमेंट कंक्रीट प्रोडक्ट्स,
141–142, विष्णु गार्डन, टोंक रोड़, जयपुर ..........प्रत्यर्थी

**खण्डपीठ**
**श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य**
**श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य**

**उपस्थित :**

श्री राजेश गुप्ता व श्री दिनेश कुमार शर्मा,
अभिभाषकगण ......व्यवसायी की ओर से
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .............राजस्व की ओर से

**दिनांक : 14.08.2018**

**निर्णय**

1. उक्त अपीलें अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 16.12.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिनमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **''सशक्त अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **''अधिनियम''** कहा

निरन्तर.............2

जायेगा) की धारा 25/26, 55 व 61 के अन्तर्गत पारित आदेशों दिनांक 31.03.2013 में सृजित कर व ब्याज की पुष्टि की गई है तथा शास्ति को अपास्त किया गया है।

2. अपील संख्या 463 से 468/2015 अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे **"व्यवहारी"** कहा जायेगा) द्वारा पेश की गई हैं जिनमें निम्नलिखित बिन्दुओं को विवादित करते हुए अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है :-

   1. कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उत्पादित एवं विक्रीत माल "पाइप (Pipe)" है तथा जिसके संबंध में अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण प्रतिप्रेषित कर त्रुटि की है अतः प्रतिप्रेषण संबंधी अपीलीय आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की है;
   2. कि सर्वेक्षण के समय पर पाये गये उचन्त विक्रय पर करवंचना के कारण वर्ष 2012-13 में धारा 61 के अंतर्गत जो शास्ति आरोपण रूपये 3,18,104/- किया गया है, उसकी पुष्टि करते हुए इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार किये जाने को अनुचित बताते हुए इस संबंध में अपीलीय आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की है।

3. विभाग द्वारा अपील संख्या 895 से 900/2015 प्रस्तुत की गई हैं जिनमें प्रश्नगत माल की प्रकृति एवं कर दर के संबंध में विस्तृत जांच हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने तथा धारा 61 के अधीन आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

4. प्रस्तुत अपीलों में विवादित मांग राशि का विवरण निम्न तालिकानुसार है :-

| अपील संख्या | अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या | कर निर्धारण वर्ष | कर | ब्याज | शास्ति | आईटीसी समायोजन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 463/15 | 33/आरवीएटी | 2007-08 | 12,12,256 | 8,00,089 | - | - |
| 895/15 | | | - | - | 24,24,512 | - |
| 464/15 | 34/आरवीएटी | 2008-09 | 12,05,524 | 6,50,983 | - | - |
| 896/15 | | | - | - | 24,11,048 | - |
| 465/15 | 23/आरवीएटी | 2009-10 | 9,16,789 | 3,85,051 | - | - |
| 897/15 | | | - | - | 18,33,578 | |
| 466/15 | 35/आरवीएटी | 2011-11 | 12,11,734 | 66,890 | - | 5,36,833 |
| 898/15 | | | - | - | 14,86,458 | |
| 467/15 | 36/आरवीएटी | 2011-12 | 9,27,654 | 166978 | - | - |
| 899/15 | | | - | - | 18,55,308 | - |
| 468/15 | 24/आरवीएटी | 2012-13 | 2,71,342 | 27,135 | - | - |
| 900/15 | | | - | - | 5,42,684 | - |

5. समस्त प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

निरन्तर.............3

6. प्रस्तुत अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रतिकरापवंचन वृत के दल द्वारा व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 12.04.2012 को करने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में **Manhole, Manhole Cover, Manhole frame, Ring, Cone, Manhole Chamber & Precast Cement Concrete Articles** का विक्रय किया जाकर इसके विक्रय पर अधिनियम की अनुसूची–चतुर्थ में विहित कर दर 4/5 प्रतिशत से वैट चुकाया है जबकि उक्त वस्तुएं सामान्य दर से करयोग्य हैं जिन पर अनुसूची–पंचम के अंतर्गत 12.5 प्रतिशत से कर देय है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा विक्रीत वस्तुओं को सामान्य दर से करदेय होना मानकर पारित आदेशों में 12.5/14 प्रतिशत (जैसी कर दर संबंधित अवधि में प्रचलन में रही) की दर से करारोपण करते हुए अंतर कर राशि के अदत्त रहने के कारण अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज का आरोपण किया। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर कर चुकाने के कृत्य को करापवंचन किया जाना मानकर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का भी आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012–13 में सर्वेक्षण के समय माल का भौतिक सत्यापन करने पर रूपये 11,36,083/– की उचन्त बिक्री पाये जाने पर धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई है।

7. उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलें विस्तृत जांच पश्चात आदेश पारित करने हेतु सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित की एवं धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गई हैं। उक्त अपीलीय आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी एवं विभाग की ओर से ये अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

8. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा विक्रीत वस्तुऐं राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची–चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 99 से आच्छादित है न कि अनुसूची–पंचम के अन्तर्गत सामान्य कर दर से अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर कर एवं ब्याज का आरोपण मूल रूप से ही गलत किया गया था एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पुनः जांच हेतु सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतः अनुचित एवं अविधिसम्मत है। द्वितीयतः, वक्त सर्वेक्षण तथाकथित रूप से स्टॉक कम पाये जाने के कारण आरोपित शास्ति की पुष्टि किये जाने को भी विवादित करते हुए तत्संबंधी अपीलीय आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की गई है। उनका यह भी कथन है कि धारा 61 के अधीन आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा सही अपास्त किया गया है अतः इस संबंध में प्रस्तुत राजस्व की अपीलों को उन्होनें अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

निरन्तर.............4

9. विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में Manhole, Manhole Cover, Manhole frame, Ring, Cone, Manhole Chamber & Precast Cement Concrete Articles का विक्रय किया जाकर इसके विक्रय पर अधिनियम की अनुसूची–चतुर्थ में विहित कर दर 4/5 प्रतिशत से वैट वसूल किया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा विक्रीत वस्तुओं को सामान्य दर से करदेय होना मानकर पारित आदेशों में 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर आरोपण किया गया है। अतः इस बिन्दु पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने को अनुचित बतलाते हुए उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की। साथ ही उनका यह भी कथन है कि व्यवहारी द्वारा उक्त वस्तुओं को जानबूझकर करापवंचन की नीयत से 'पाइप' दर्शाकर इस पर न्यून कर दर @4/5 प्रतिशत से ही कर चुकाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया जाना प्रमाणित होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से शास्ति का आरोपण किया गया है तथा जिसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी ने विधिक भूल की है। उक्त तथ्यों के आधार पर उन्होंने अपीलीय आदेश को अपास्त कर विभागीय अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

10. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अभियोग पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि व्यवहारी द्वारा सीमेन्ट, कंक्रीट एवं लौह आदि से विभिन्न प्रकार के प्रीकास्ट आइटम्स् विनिर्मित किये जाते हैं जिनमें कुछ आइटम्स् पाइपनुमा, कुछ कोनिकल (conical), कुछ सिलेन्ड्रीकल प्रतीत होते हैं तथा कुछ आइटम्स् प्री–फैब्रिकेटेड फ्रेम्स, ढक्कन आदि प्रतीत होते हैं। व्यवहारी द्वारा इन आइटम्स् पर अनुसूची–चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 99 के अनुरूप 4 अथवा 5 प्रतिशत (कर दर जैसे संदर्भित अवधि में प्रचलन में रही) की दर से कर चुकाया गया हैं। जांच अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में इन आइटम्स् को "पाइप्स्" की श्रेणी में नहीं मानते हुए इन पर कर दर अनुसूची–पंचम के अनुसार मानी गई है एवं तदनुरूप करारोपण किया गया है।

11. अपीलीय अधिकारी ने इन वस्तुओं पर कर दर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **भारत फोर्ज एण्ड प्रेस इण्डस्ट्रीज बनाम कलक्टर ऑफ सैन्ट्रल एक्साइज** [1990 AIR 616: 1990 SCR (1) 60] के प्रकरण में दिये गये निर्णय में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी द्वारा निर्मित माल का निरीक्षण कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पक्ष को विवेचित करते हुए आख्यापरक रूप से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। धारा 61 के अंतर्गत शास्ति को इस आधार पर अपास्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण माल के वर्गीकरण

निरन्तर.............5

एवं कर दर से संबंधित है जिसमें खरीद बिक्री संव्यवहार छुपाये जाने या लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट न होने का आरोप नहीं है, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स कृष्णा इलैक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु (2009) 23 VST 249 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लॉर्ड वैकटेश्वर केटरर्स बनाम वा.क.अ. 19 TUD 85 में दिये गये निर्णयों के प्रकाश में शास्ति आरोपणीय नहीं होना निर्णीत किया गया है। इसके अलावा व्यवहारी के यहां सर्वेक्षण के समय घोषित मात्रा से अधिक पाये गये माल पर धारा 75(8) के अन्तर्गत किये गये शास्ति आरोपण की भी अपीलीय आदेश में पुष्टि की गई है।

12. जहां तक अपीलीय आदेश में व्यवहारी द्वारा निर्मित एवं विक्रीत उत्पादों का निरीक्षण करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत फोर्ज *(supra)* के प्रकरण में अभिनिर्धारित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए विवादित प्रकरणों का निर्णय करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का प्रश्न है, प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों एवं संदर्भित न्यायिक निर्णय के प्रकाश में यह उचित है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रश्नगत उत्पादों की भलीभांति जांच करते हुए, इनके user test /common parlance test को ध्यान में रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त संदर्भित निर्णय में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के आलोक में इनका समग्र परिप्रेक्ष्य में objective analysis करते हुए, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर पर विचार करने के पश्चात speaking order द्वारा कर निर्धारण आदेश पुनः पारित किया जावे। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने संबंधी आदेश उचित पाये जाते हैं, अतः इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश पुष्टि योग्य होने से व्यवहारी एवं विभाग दोनों द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।

13. विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों में अपीलीय आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 61 के अधीन आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने को भी विवादित किया गया है। इस संबंध में विभिन्न माननीय न्यायालयों एवं राजस्थान कर बोर्ड का यह निरन्तर अभिमत रहा है कि classification of goods तथा tax rate संबंधी विवादों में धारा 61 के अधीन शास्ति आरोपण नहीं किया जाना चाहिए। अतः उक्त स्थापित व्यवस्था के अनुसरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, अतः इस संबंध में अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।

14. व्यवहारी के यहां सर्वेक्षण के समय घोषित मात्रा से कम पाये गये माल की उचन्त बिक्री पाये जाने पर धारा 61 के अन्तर्गत किये गये शास्ति आरोपण की अपीलीय आदेश में पुष्टि की गई है। इस सम्बन्ध में अभिलेख के अवलोकन पश्चात उक्त शास्ति आरोपण उचित पाये जाने से अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि किया जाना विधिसम्मत है, अतः इस सम्बन्ध में अपीलीय आदेश पुष्टि योग्य है।

निरन्तर............6

15. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय आदेशों की पुष्टि करते हुए व्यवहारी एवं विभाग दोनों द्वारा प्रस्तुत सभी अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

16. अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरणों के निस्तारण हेतु व्यवहारी को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 04.10.2018 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी दोनों पक्षों की सुविधा की तिथि को प्रश्नगत उत्पादों का सदल निरीक्षण व विश्लेषण करेंगे तथा व्यवहारी का पक्ष सुनने के पश्चात well-reasoned and speaking order पारित करेंगे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रतिप्रेषित प्रकरणों का निस्तारण दिनांक **31.12.2018** तक आवश्यक रूप से कर दिया जावे।

17. निर्णय सुनाया गया।

14.8.2018
**(ओमकार सिंह आशिया)**
**सदस्य**

**(मदनलाल मालवीय)**
**सदस्य**